ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम)

राज्य की संस्थागत व्यवस्थाएं

विषय सूची

1.0	संदर्भ	3
2.0	राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के अंतर्गत संस्थागत फ्रेमवर्क	3
3.0	राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के अंतर्गत राज्य का संस्थागत फ्रेमवर्क	4
4.0	राज्य–स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति	5
5.0	राज्य नोडल एजेंसी	6
6.0	राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी	7
7.0	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई	7
8.0	जिला–स्तरीय संस्थागत फ्रेमवर्क	9
9.0	क्लस्टर–स्तरीय संस्थागत फ्रेमवर्क	11
अनुबंध 1	राज्य, जिला और क्लस्टर स्तरीय समितियों की सुझाई गई संरचना	12
अनुबंध 2	एसपीएमयू की टीम की वांछनीय विशेषज्ञता और संरचना	14
अनुबंध 3	एसटीएसए की टीम की वांछनीय विशेषज्ञता और संरचना	15
अनुबंध 4	डीपीएमयू एवं सीडीएमयू के टीम की वांछनीय विशेषज्ञता और संरचना	16

सारणियों की सूची

सारणी 1	एसएलईसी का गठन	5
सारणी 2	जिला स्तरीय समिति की प्रस्तावित संरचना	10

आरेखों की सूची

आरेख 1	राष्ट्र–स्तरीय संस्थागत संरचना	4
आरेख 2	राज्य में संस्थागत संरचना	4

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)

क्रियान्वयन संबंधी फ्रेमवर्क

राज्य संस्थागत फ्रेमवर्क

1.0 संदर्भ

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का उद्देश्य अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को 'रुर्बन गांवों' के रूप में विकसित करना है।

इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को बनाए रखना, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना और योजनाबद्ध तरीके से रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है। अगले पांच वर्षों में, सभी राज्यों और संघ राज्य् क्षेत्रों में लगभग 300 ऐसे रुर्बन क्लस्टरों का विकास किया जाएगा जिनमें विकास की क्षमता विद्यमान हो, इससे क्षेत्र के समग्र विकास की शुरूआत होगी।

इस मिशन के तहत प्रत्येक रुर्बन क्लस्टर को एक ऐसी परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ा प्रशिक्षण, कौशल और स्थानीय उद्यमशीलता विकास संबंधी घटक शामिल होंगे तथा यह मिशन आवश्यक आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। इन परियोजनाओं को समेकित करके परियोजना घटकों के कार्यान्वयन में अभिसरण बिठाते हुए तीन वर्ष की निर्धारित समय सीमा में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके बाद 10 वर्ष की अवधि तक संचालन और रख–रखाव किया जाएगा।

राज्यों को एंकर और मुख्य क्रियान्वयनकर्ता मानते हुए मिशन का क्रियान्वयन किया जाएगा। मिशन के तहत संस्थागत फ्रेमवर्क में मिशन का क्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य स्टेकहोल्डरों की नियुक्ति करने की परिकल्पना की गई है। संस्थागत व्यवस्था में विभिन्न मिशनों के दिशा–निर्देश और फ्रेमवर्क के अनुसार मिशन का क्रियान्वयन किया जाएगा।

निम्नलिखित वर्ग राज्य में रुर्बन क्लस्टरों के निर्धारण, विकास, क्रियान्वयन और परिचालन तथा रख–रखाव के लिए राज्य संस्थागत व्यवस्था करने हेतु क्रियान्वयन संबंधी फ्रेमवर्क प्रस्तुत करते हैं।

2.0 राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के अंतर्गत संस्थागत फ्रेमवर्क

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) ने क्रियान्वयन संबंधी फ्रेमवर्क – भाग 1 के खंड 8.0 के द्वारा संस्थागत फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया है। इन संस्थागत फ्रेमवर्क को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है ताकि मिशन के तहत रुर्बन परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं इनको स्वीकृति दी जा सके और राज्य सरकार द्वारा मिशन के क्रियान्वयन में मदद की जा सके।

राज्य संस्थागत फ्रेमवर्क मिशन के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाएगी और इसके कार्य मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण होंगे। राज्य संस्थागत व्यवस्था में रुर्बन क्लस्टरों का निर्धारण करना अपेक्षित होगा, भाग–2 आईसीएपी के अनुसार समेकित क्लस्टर कार्ययोजनाओं को तैयार करके इसके विकास की योजना बनाना भी अपेक्षित होगा और इसके बाद क्रियान्वयन किया जाएगा तथा रुर्बन क्लस्टर के परिचालन एवं रख–रखाव में सहायता की जाएगी।

विभिन्न सरकारी योजनाओं के वित्तपोषण में अभिसरण और तीन वर्षों की निर्धारित अवधि के अंदर इसके क्रियान्वयन में समन्वय करना मिशन के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक हैं। सामाजिक–आर्थिक और अवसंरचना आयोजना तथा स्थानिक आयोजना वाली प्रभावी आईसीएपी के साथ में इसका उद्देश्य रुर्बन क्लस्टर तैयार करना है। जैसा कि क्षेत्रीय वृद्धि केंद्र क्लस्टर स्तर पर मिशन की सफलता सुनिश्चित करेंगे।

क्रियान्वयन संबंधी फ्रेमवर्क – भाग–1 के खंड 8.0 के द्वारा निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रस्ताव किया गया है:

आरेख १: राष्ट्रीय स्तर पर संस्था गत संरचना

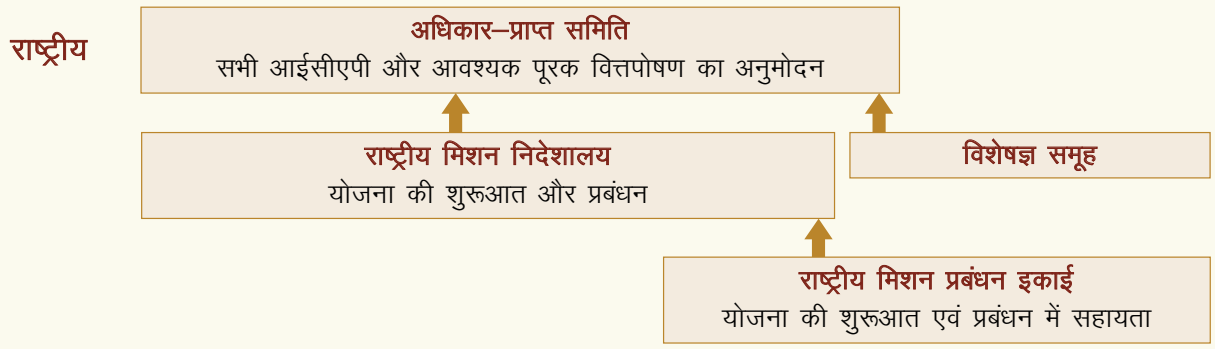

आरेख २: राज्यों में संस्थागत संरचना

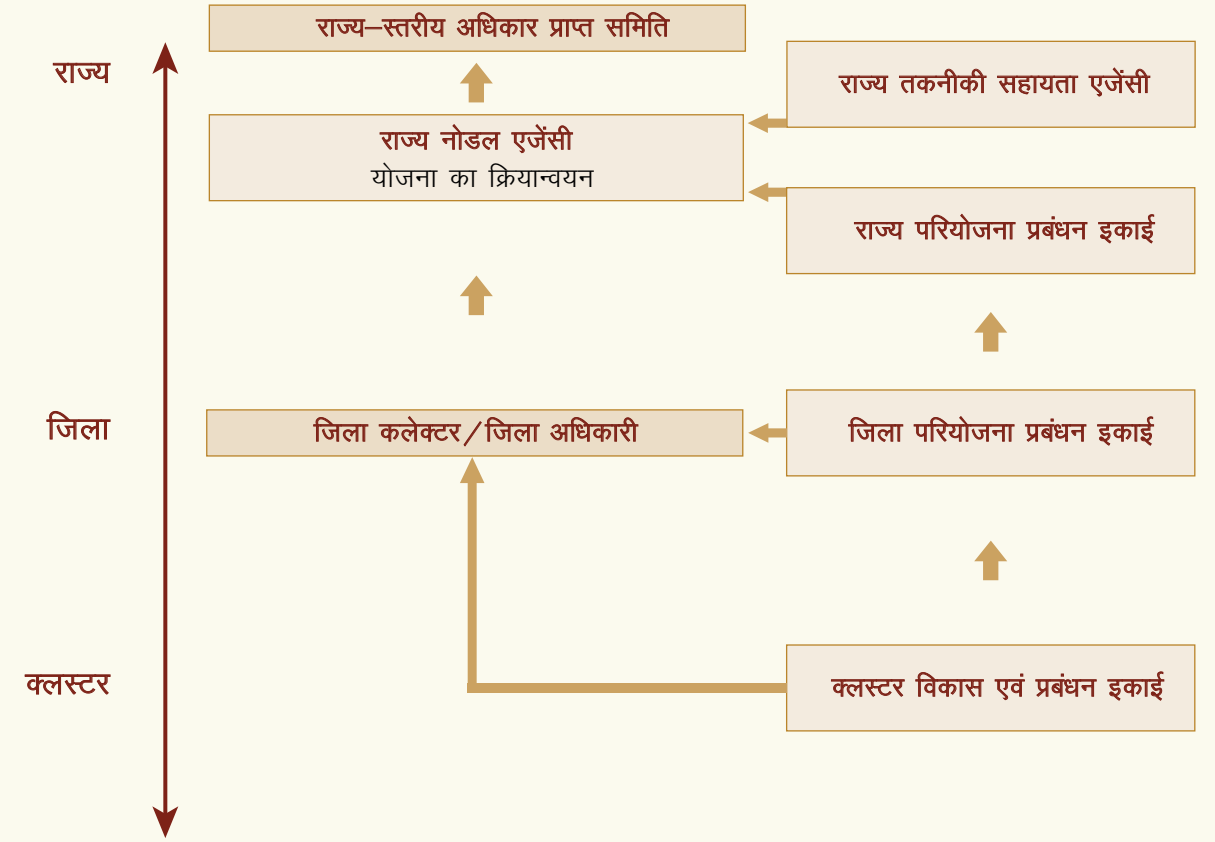

3.0 राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के अंतर्गत राज्य का संस्थागत फ्रेमवर्क

राज्य के संस्थागत फ्रेमवर्क को तीन स्तरों अर्थात राज्य सरकार के स्तर, जिला स्तर और क्लस्टर स्तर पर शुरू किया जाना है। राज्य स्तर की मुख्य संस्थाएं इस प्रकार हैं:

3.1 **राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति (एसएलईसी):** मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली यह समिति आईसीएपी की सिफारिश करेगी और मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व डीपीआर को अनुमोदित करेगी। प्रभावी समन्वयन और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी इसी समिति की होगी।

3.2 **राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के प्रयोजनार्थ ग्रामीण विकास विभाग या किसी एजेंसी या राज्य सरकार द्वारा नामित किसी भी विभाग को राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) के रूप में पदनामित किया जाएगा। विभाग/एसएनए में गठित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) विभाग/एसएनए की मदद करेगी। यथा संभव चयनित एजेंसी राज्य सरकार के ग्रामीण विकास तथा/या पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए।**

3.3 **राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई – (एसपीएमयू):** यह इकाई उक्त विभाग/एसएनए से संबद्ध तकनीकी और प्रचालन इकाई होगा, जिसका उद्देश्य इस मिशन के सफल संचालन के लिए एसएनए को समग्र सहायता प्रदान करना होगा। एक वरिष्ठ विकास विशेषज्ञ की अध्यक्षता में गठित एसपीएमयू में अभिसरण, आयोजना, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और एमआईएस के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

3.4 **राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियां:** क्लस्टरों के चयन, आईसीएपी और डीपीआर की तैयारी में सहायता करने तथा इन प्रक्रियाओं में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए मंत्रालय के पैनल में शामिल की गई और राज्यों द्वारा नियुक्त की गई अग्रणी शैक्षणिक संस्थाएं राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियां (एसटीएसए) होंगी।

4.0 राज्य स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति

4.1 **राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति क्या है?** मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रत्येक राज्य की राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति राज्य नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आईसीएपी और डीपीआर की समीक्षा करके उन्हें आगे मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित करेगी।

4.2 **राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति की क्या आवश्यकता है?** राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति तैयार की गई आईसीएपी की सिफारिश करेगी और डीपीआर को मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमोदित करेगी तथा प्रभावी समन्वयन एवं इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य प्रमुख निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी इसी समिति की होगी।

4.3 **राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति की संरचना:** मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव/सचिव संयोजक के रूप में शामिल होंगे और इस समिति के अन्य सदस्य राज्य सरकार से आमंत्रित किए जाएंगे। मिशन के संबंध में प्रमुख निर्णय लेने के लिए इस समिति की बैठक तीन महीने में एक बार आयोजित की जाएगी।

4.4 राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति की भूमिकाएं और दायित्व

i. आईसीएपी और डीपीआर की स्वीकृति के संबंध में सभी निर्णय लेना, उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वीकृति समिति के अनुमोदनार्थ भारत सरकार को भेजना।

ii. रुकावटों और अपेक्षित तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता का निर्धारण करना तथा समय–समय पर आवश्यक अनुदेश/सरकारी आदेश जारी करना।

iii. राष्ट्रीय स्तर की समिति से यथापेक्षित समन्वय करना।

सारणी 1: राज्य स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति की संरचना

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	संयोजक सदस्य
प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज	सदस्य
प्रधान सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य
प्रधान सचिव/सचिव, आयोजना एवं वित्त प्रभाग	सदस्य
प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि विकास विभाग	सदस्य
अनुबंध–I में सुझाई गई सूची के अनुसार चयनित घटक के आधार पर अन्य सदस्य आमंत्रित किए जाएंगे।	

5.0 राज्य नोडल एजेंसी

5.1 **राज्य नोडल एजेंसी क्या है?** राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी या तो ग्रामीण विकास विभाग या फिर रुर्बन मिशन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नामित कोई एजेंसी या विभाग होगा। अधिमानतः चुनिंदा एजेंसियां राज्य सरकार के ग्रामीण विकास के प्रशासनिक क्षेत्र और/या पंचायती राज्य विभाग, जो भी मामला हो, के अंतर्गत होनी चाहिएं।

5.2 **राज्य नोडल एजेंसी की क्या आवश्यकता है?** राज्यों को एंकरों और मुख्य कार्यान्वयनकर्ताओं की भूमिका में रखते हुए राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) को मिशन के रूप में चलाए जाने का प्रस्ताव है। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर कई स्टेकहोल्डरों का सहयोग लेने की परिकल्पना की गई है। इसीलिए, राज्य में राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के सभी कार्यकलापों के व्यापक एवं एक–साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी की आवश्यकता है।

5.3 **इसका गठन कैसे किया जाएगा?** राज्य सरकार के मुख्य सचिव या सचिव ग्रामीण विकास राज्य नोडल एजेंसी को पदनामित करेंगे।

5.4 **इसका गठन कब और कहाँ किया जाएगा?** मिशन का शुभारंभ करने के लिए राज्य सरकार सबसे पहले राज्य नोडल एजेंसी को पदनामित करेगी। इस एजेंसी का गठन यथास्थिति ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज में किया जाएगा।

5.5 **राज्य नोडल एजेंसी की संरचनाः** राज्य नोडल एजेंसी का अध्यक्ष राज्य सरकार का कम से कम सचिव स्तर का अधिकारी होगा। राज्य नोडल एजेंसी के रूप में निर्धारित विभाग राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के लिए प्रकोष्ठ का गठन करेगा और उस प्रकोष्ठ में निर्णायक स्तर का कम से कम एक अधिकारी शामिल होना चाहिए। राज्य नोडल एजेंसी को बाद में एसपीएमयू से सहायता प्राप्त होगी, जो कि इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए एसएनए को प्रमुख तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा।

5.6 **राज्य नोडल एजेंसी का कार्यक्षेत्रः**

i. **क्लस्टर का निर्धारण/आईसीएपी और डीपीआर**

क) जिला कलैक्टर/जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/ग्राम पंचायतों के निरंतर परामर्श से राज्य नोडल एजेंसी विधिवत अनुमोदित कार्यप्रणाली के अनुसार रुर्बन क्लस्टरों का निर्धारण करेगी।

ख) जिला कलैक्टर/जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/ग्राम पंचायतों के निरंतर परामर्श से चयनित क्लस्टरों के एसटीएसए/एसपीएमयू की सहायता से राज्य नोडल एजेंसी आईसीएपी और डीपीआर तैयार करेगी।

ग) राज्य नोडल एजेंसी क्लस्टर, डीपीआर के लिए राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति तथा आईसीएपी एवं सीजीएफ अनुप्रयोग के लिए अधिकार–प्राप्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

ii. **मिशन की निगरानी**

क) जिला कलैक्टर/जिला अधिकारी और एसएलईसी के निरंतर समन्वय से राज्य नोडल एजेंसी निधियों और संसाधनों का अभिसरण सुनिश्चित करेगी और आवश्यक होने पर इस प्रयोजनार्थ विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करेगी।

ख) राज्य नोडल एजेंसी राज्य में निर्धारित सभी क्लस्टरों में राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) से संबंधित सभी कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करेगी।

ग) राज्य नोडल एजेंसी मिशन के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए संगत अन्य कोई विषय या राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम), मिशन निदेशालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एजेंसी को भेजे गए विषय उठाएगी।

iii. **निधि प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन**

क) क्लस्टर स्तर पर चलाए जा रहे वास्तविक कार्यकलापों की निगरानी और मूल्यांकन के साथ–साथ इस योजना के अंतर्गत राज्य को आवंटित की गई निधियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य नोडल एजेंसी की होगी। इस विषय में किए जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्य इस प्रकार है :

- राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के अंतर्गत प्राप्त निधियों का प्रबंधन करना और राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) क्लस्टरों में निर्माण कार्यकलाप संपन्न करने के लिए क्लस्टरों को उन निधियों का समय पर वितरण करना।

- क्लस्टर आवंटन के आधार पर अपेक्षित वार्षिक निधियों की मांग ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करना।
- आईसीएपी में निर्दिष्ट परिणामों के अनुसार क्लस्टर स्तर पर निर्माण कार्यकलापों की निगरानी एवं मूल्यांकन करके समय पर उनका समापन सुनिश्चित करना।
- राज्य स्तर पर सभी क्लस्टरों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) एमआईएस का प्रबंधन करना।
- विभिन्न क्लस्टरों को रिलीज की गई निधियों के लेखा परीक्षित का रखरखाव और निधियों की रिलीज के बाद समय–समय पर उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।

6.0 राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी

6.1 **राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी क्या है?** क्लस्टरों के चयन, आईसीएपी और डीपीआर की तैयारी में राज्य नोडल एजेंसी की सहायता करने तथा राज्यों को आईसीएपी और डीपीआर की तैयारी के कार्य का प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य से राज्य सरकारों की सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा नामित की गई प्रतिष्ठित संस्थाएं/फर्में राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियां (एसटीएसए) हैं।

6.2 **राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी की क्या आवश्यकता है?** क्लस्टरों के निर्धारण और आईसीएपी एवं डीपीआर की तैयारी के लिए संकेंद्रित एवं विशेषीकृत तकनीकी सहायता की आवश्यकता होने के कारण राज्य सरकारों को यह सहायता दी जा रही है।

6.3 **इसका गठन कैसे किया जाएगा?** ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य की संस्थाओं की सूची को नामांकित करेगा और राज्य इस सूची में शामिल संस्थाओं में से वांछित संस्था का चयन वरीयता–प्राप्त राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में करेंगे।

6.4 **इसका गठन कब और कहाँ किया जाएगा?** राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी को मंत्रालय नामित करेगा और राज्य सरकारें राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति के गठन एवं राज्य नोडल एजेंसी के निर्धारण के साथ–साथ तत्कालिक कार्यकलाप के रूप में राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियों की नियुक्ति भी करेंगी।

6.5 **राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी की संरचना?** राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के अंतर्गत चयनित राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी में शहरी और ग्रामीण आयोजना, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, ग्रामीण अवसंरचना की आयोजना, कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों, सामुदायिक एवं सामाजिक विकास के विशेषज्ञ शामिल होंगे। सुपरिभाषित विचारार्थ विषयों सहित व्यावसायिक निबंधनों के अनुसार राज्य इन एजेंसियों को नियुक्त करेंगे।

6.6 **राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी का कार्यक्षेत्र**

6.6.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली के अनुसार क्लस्टरों का चयन करने में राज्य नोडल एजेंसी की सहायता करना।

6.6.2 आयोजना क्षेत्र के निरूपण और क्लस्टर क्षेत्र की मास्टर योजना तैयार करने में राज्य नोडल एजेंसी, जिला और आयोजना समितियों की सहायता करना।

6.6.3 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कार्यान्वयन व्यवस्था के अनुसार समेकित क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी) तैयार करना।

6.6.4 संबंधित योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न घटकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।

6.6.5 राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के अंतर्गत गठित राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए), राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) जैसी विभिन्न राज्य संस्थाओं के सदस्यों को क्लस्टर के चयन, आईसीएपी और डीपीआर की तैयारी जैसे कार्यों का मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

7.0 राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई

7.1 **राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई क्या है?** राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई विभाग/एसएनए से संबद्ध तकनीकी और प्रचालन इकाई होगा, जिसका उद्देश्य इस मिशन के सफल संचालन के लिए एसएनए को समग्र सहायता प्रदान करना होगा। एक वरिष्ठ विकास विशेषज्ञ की

अध्यक्षता में गठित एसपीएमयू में आयोजना, इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी और एमआईएस के व्यवसायी शामिल होंगे।

7.2 **राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की क्या आवश्यकता है?** इस मिशन में आर्थिक एवं अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान द्वारा रुर्बन क्लस्टरों के योजनाबद्ध अधिसूचित क्षेत्रों के रूप मे विकास की परिकल्पना की गई है। इस मिशन का संचालन विभाग/राज्य नोडल एजेंसी को करना है और इसके लिए राज्य, जिला एवं क्लस्टर स्तरों पर प्रस्तावित संस्थाओं के बीच दक्षतापूर्ण समन्वय की आवश्यकता है। इसीलिए राज्य नोडल एजेंसी को मिशन के रोजमर्रा के कामकाज के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता एवं सहायता की आवश्यकता होगी, जिसे प्रदान करने के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की परिकल्पना की गई है।

7.3 **इसका गठन कैसे किया जाएगा?** एसपीएमयू एसएनए के अंतर्गत एक वर्ग या प्रकोष्ठ हो सकता है या एसएनए विभिन्न तरीकों के आधार पर पेशेवर व्यक्तियों की नियुक्ति करके एसपीएमयू का गठन करेगी।

7.4 **इसका गठन कब और कहाँ किया जाएगा?** मिशन शुरू करते ही एसपीएमयू का गठन करना होगा। यह इकाई राज्य नोडल एजेंसी के परिसर में स्थित होगा और इसका कार्यकाल मिशन की अवधि के समान ही पांच वर्ष होगा।

7.5 **कार्यक्षेत्र :** राज्य स्तर पर कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसएलएनए को अपेक्षित तकनीकी और कार्यकारी सहायता प्रदान करने के लिए ही एसपीएमयू की रूपरेखा तैयार की गई है। यह इकाई एसएलएनए के समग्र पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा, यथासंभव एसएनए में ही स्थित होगा और मुख्यतः कार्यक्रम के कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन पर जोर देगा।

एसपीएमयू की भूमिका में आगे दर्शाए गए व अन्य कार्यकलाप भी शामिल होंगे:

7.6 **समग्र कार्यनीतिक सहायता**

i. क्लस्टर के चयन की प्रक्रिया में एसएनए की सहायता करना।

ii. एसटीएसए तथा जिला एवं ब्लॉक प्रशासन और क्लस्टर स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों के परामर्श से आईसीएपी/डीपीआर का मूल्यांकन करके उन्हें अंतिम रूप देना।

iii. राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति से डीपीआर का अनुमोदन और आईसीएपी की सिफारिशें प्राप्त करने में राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) की सहायता करना।

iv. परियोजनाओं को पर्याप्त निधियों की समय पर रिलीज में सहायता करना।

v. राज्य और केंद्र सरकार से संपर्क बनाए रखना।

vi. राज्य में मिशन के निष्पादन से एसपीएमयू के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा।

7.7 **प्रचालन सहायता**

i. मिशन से संबंधित रोजमर्रा के सभी कार्यों में एसएनए की सहायता करना।

ii. मिशन के निरंतर कार्यान्वयन में सहायता के लिए सभी स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय करना। इसके लिए ब्लॉक, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, जिला कलैक्टर, जिला एवं आयोजना समितियों, राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने में एसएनए की सहायता करनी होगी।

iii. प्रत्येक क्लस्टर के लिए क्लस्टर विकास और प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन में जिला प्रशासन की सहायता करना।

iv. पर्याप्त निधियों की समय पर रिलीज में सहायता करना, जिसके लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने के लिए उपयोग प्रमाणपत्र समय पर तैयार करके प्रस्तुत करने होंगे।

7.8 **निगरानी और रिपोर्टिंग**

i. मिशन के घटकों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, एसएनए, एनएमएमयू और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को नियमित रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

ii. राज्य स्तर पर निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था की स्थापना करके नियमित ऑनलाइन रिपोर्टिंग और वितरित की गई निधियों का दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना।

iii. समेकित क्लस्टर कार्ययोजनाओं, मास्टर आयोजना प्रक्रिया, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट,

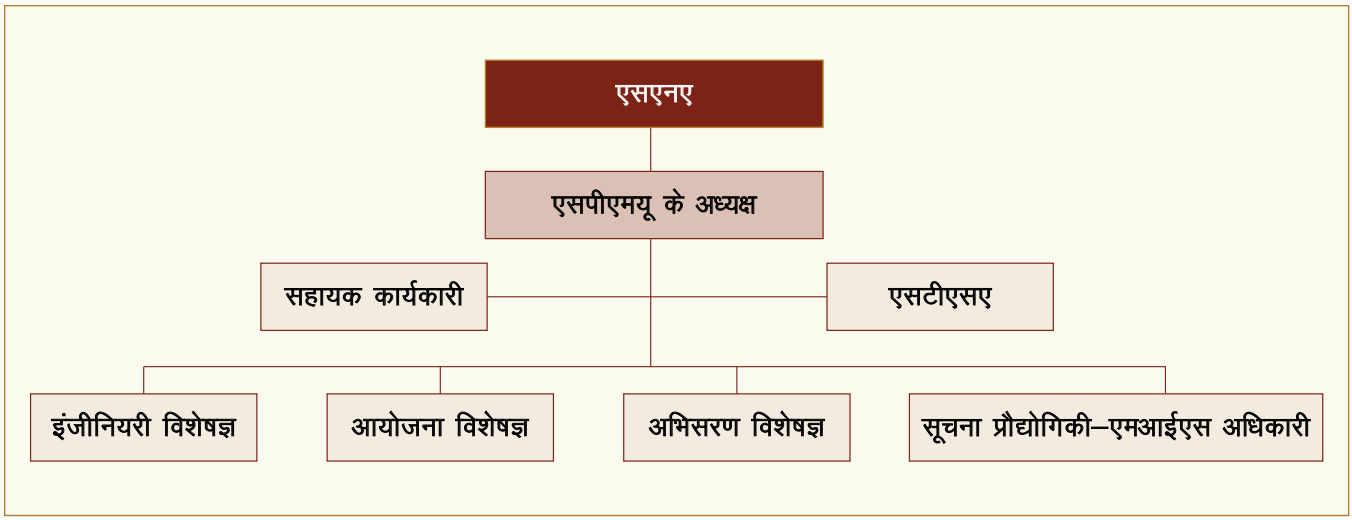

उपयोग प्रमाणपत्रों, तिमाही प्रगति रिपोर्ट इत्यादि की स्थिति सहित राज्य में राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

iv. मंत्रालय को कार्यान्वयन और परियोजनाओं की प्रगति की प्रभावी एवं समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना, जिसमें वेब–आधारित निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली शामिल है।

7.9 क्षमता विकास सहायता

i. स्टेकहोल्डरों, विशेषकर कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों; डीपीएमयू, संबंधित विभागों और निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संगठनों सहित अन्य सभी स्टेकहोल्डरों के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के माध्यम से मार्गदर्शन एवं क्षमता विकास सहायता प्रदान करना।

ii. क्षमता विकास के यथावश्यक उपायों में सहायता करना।

7.10 टीम की प्रस्तावित संरचना

एसपीएमयू के अध्यक्ष वरिष्ठ ग्रामीण विकास विशेषज्ञ होंगे और इसमें इंजीनियरी, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी और एमआईएस के क्षेत्रों के व्यवसायी शामिल किए जाएंगे, ताकि इस परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

वांछित टीम की संरचना, एसपीएमयू टीम की अपेक्षित अर्हता और अनुभव एवं विशेषज्ञता का ब्यौरा अनुबंध–II में दर्शाया गया है।

8.0 जिला स्तरीय संस्थागत व्यवस्थाएं

जिला स्तर पर सभी अनुमोदनों एवं कार्यों में सहायता के लिए जिला स्तरीय समिति और इस मिशन के समन्वयन में जिला कलैक्टर की सहायता के लिए जिला परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन का प्रस्ताव है। इनका ब्यौरा आगे दर्शाया गया है :

8.1 जिला स्तरीय समिति

जिला स्तरीय समिति क्या है? जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी और संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच शामिल होंगे।

जिला स्तरीय समिति की क्या आवश्यकता है? विशेषकर अभिसरण और जिला स्तरीय समन्वय से संबंधित मामलों में जिला स्तर पर सशक्त निर्णय लेने के लिए जिला स्तरीय समितियों की आवश्यकता है।

इसका गठन कैसे किया जाएगा? उपायुक्त/जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति के सदस्य निर्धारित किए जा सकते हैं।

8.2 कार्यक्षेत्र:

i. समिति इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय–समय पर कार्यान्वयन की प्रगति, निधियों की रिलीज, निधियों के उपयोग की समीक्षा करेगी, क्षेत्रीय दौरे, विभिन्न क्षेत्रों के बीच अभिसरण की स्थापना, सुधारात्मक उपाय करेगी और समिति के

अध्यक्ष की इच्छानुसार अन्य किसी मुद्दे की निगरानी भी करेगी।

ii. राज्य स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति और राज्य नोडल एजेंसी के निदेशानुसार यह समिति कार्यान्वयन की आयोजना, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करेगी।

iii. डीपीएमयू की सहायता से इस समिति के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में प्रत्येक क्लस्टर की कार्यनीतियां, लक्ष्य और उद्देश्य निरूपित करने होंगे तथा उनकी निगरानी करनी होगी।

iv. समेकित क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी) को एसएनए को भेजने से पहले इसका सत्यापन और समीक्षा समिति को करनी होगी।

v. समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण और इसके प्रभाव का निर्धारण करेगी।

vi. मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यकलापों, विभिन्न क्षेत्रों के बीच अभिसरण, निधियों की रिलीज और उपयोग की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी।

vii. आईसीएपी और डीपीआर की तैयारी में विभिन्न संबंधित विभागों और पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग एवं परामर्श सुनिश्चित करना।

8.3 **संरचनाः** उपायुक्त/जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट इस समिति के अध्यक्ष होंगे। उप विकास आयुक्त/जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी समिति के उपाध्यक्ष होंगे।

जिले के संबंधित विभागों के अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी, उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान मुखिया सरपंच समिति के सदस्य होंगे, जिसमें रुर्बन क्लस्टर स्थित होंगे और संबंधित क्षेत्र के प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों को समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। समिति की सुझावपरक संरचना इस प्रकार है (सरणी 2) :

पहले तीन सदस्य समिति के स्थायी सदस्य होंगे और सदस्य क्लस्टर के चयनित वांछनीय घटकों के अनुसार आमंत्रित किए जाएंगे।

प्रत्येक क्लस्टर का एक प्रभारी अधिकारी होगा। यह प्रभारी अधिकारी या तो जिले का पर्याप्त रूप से वरिष्ठ अधिकारी या कोई संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) हो सकता है। उस क्लस्टर का समग्र कार्यान्वयन संबंधित प्रभारी अधिकारी/ब्लॉक विकास अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए कार्यक्रम के प्रभावी और दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए यह अधिकारी भी समिति का सदस्य होगा।

सारणी २: जिला स्तरीय समिति की प्रस्तावित संरचना

1	उपायुक्त/जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2	उप विकास आयुक्त/जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	जिला आयोजना अधिकारी	सदस्य
4	जिला कल्याण अधिकारी	सदस्य
5	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7	जिला कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्र अधिकारी	सदस्य
8	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
9	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
10	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	सदस्य
11	जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
12	प्रत्येक क्लस्टर के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
13	संबंधित क्लस्टर गाँवों के सरपंच/ग्राम प्रधान	सदस्य
14	क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन	सदस्य

जिला परियोजना प्रबंधन इकाई – (डीपीएमयू) जिला कलैक्टर के कार्यालय में तीन पेशेवर व्यक्तियों अर्थात i. क्षेत्रीय आयोजना विशेषज्ञ, ii. अभिसरण विशेषज्ञ और iii. ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन विशेषज्ञ को नियुक्त करके जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) का गठन किया जा सकता है। एक जिले में केवल एक डीपीएमयू होगा। राज्य में जहां कहीं भी प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास फेलो (पीएमआरडीएफ) के मौजूदा पूल होंगे वहां इनको नियुक्त किया जाएगा। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई जिला कलैक्टर को रिपोर्ट करेगा और योजना क्षेत्रों की अधिसूचना और संबंधित स्थानिक आयोजना मामलों, आईसीएपी की योजना में शामिल की गई योजनाओं का समेकित और समयबद्ध तरीके से अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयनकर्ता विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करना इस इकाई की जिम्मेदारी होगी। ये डीपीएमयू एसपीएमयू के साथ भी गहन समन्वय करेगा। वांछित टीम की संरचना, डीपीएमयू टीम की अपेक्षित अर्हता और अनुभव एवं विशेषज्ञता का ब्यौरा अनुबंध–iv में दर्शाया गया है।

जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) की क्या आवश्यकता है? क्लस्टर से संबंधित सभी कार्यकलापों का निरंतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलैक्टर को क्लस्टर केंद्रित सहायता प्रदान करने के लिए डीपीएमयू की आवश्यकता है।

डीपीएमयू की स्थापना कैसे की जाएगी? राज्य नोडल एजेंसी तीन वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर डीपीएमयू की टीम की नियुक्ति टेंडर के माध्यम से कर सकती है।

डीपीएमयू की स्थापना कब और कहाँ की जाएगी? डीपीएमयू की स्थापना क्लस्टरों का निर्धारण एवं अनुमोदन किए जाने के तत्काल बाद डीसी कार्यालय में की जाएगी। डीपीएमयू टीम के सदस्यों का कार्यकाल मिशन की अवधि के समान ही 3 वर्ष होगा।

9.0 क्लस्टर स्तरीय संस्थागत फ्रेमवर्क

क्लस्टर स्तर पर प्रत्येक रुर्बन क्लस्टर के लिए एक क्लस्टर विकास एवं प्रबंधन इकाई (सीडीएमयू) गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस इकाई में कम–से–कम दो पेशेवर व्यक्ति अर्थात i. स्थानिक आयोजना पेशेवर और; ii. ग्रामीण प्रबंधन/विकास पेशेवर होंगे। यह इकाई स्थानिक आयोजना के पहलुओं और क्लस्टर के लिए आईसीएपी की तैयारी की गहन निगरानी करेगा और क्लस्टर में किए जाने वाले कार्यकलापों की प्रगति की भी गहन निगरानी करेगा और डीपीएमयू/एसपीएमयू को नियमित अद्यतन की जानकारी देगा।

प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक स्थानिक आयोजना पेशेवर एवं एक ग्रामीण विकास पेशेवर वाली सीडीएमयू दल का गठन किया जाएगा और वह जिला कलैक्टर को रिपोर्ट करेगा।

वांछित टीम की संरचना, सीडीएमयू टीम की अपेक्षित अर्हता और अनुभव एवं विशेषज्ञता का ब्यौरा अनुबंध–v में दर्शाया गया है।

9.1 सीडीएमयू का कार्यक्षेत्र

क्लस्टर से संबंधित सभी कार्यकलापों की निगरानी करना और जिला कलैक्टर को प्रत्येक क्लस्टर के लिए मिशन से संबंधित सभी कार्यकलापों में तकनीकी एवं प्रचालन सहायता उपलब्ध कराना।

तकनीकी

i. क्लस्टर के लिए आयोजना क्षेत्र के निर्धारण, आयोजना समिति के गठन, मास्टर प्लान की तैयारी जैसे सभी स्थानीय आयोजना कार्यकलापों की निगरानी।
ii. आईसीएपी/डीपीआर तैयार करने और अंतिम रूप देने में एसटीएसए/डीपीएमयू एवं एसपीएमयू को सहायता देना।
iii. एसटीएसए एवं एसपीएमयू/डीपीएमयू के बीच घनिष्ठ समन्वयन में–प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में सहायता करना।

प्रचालन

i. क्लस्टर स्तर पर मिशन से संबंधित रोजमर्रा के सभी कार्यों में डीपीएमयू/डीसी की सहायता करना।
ii. सभी पीआरआई, सीएसओ और प्रेरणादायी संगठनों के साथ स्टेकहोल्डर परामर्श।
iii. राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के लिए ग्राम सभा संकल्प पारित करने में सहायता देना।
iv. जिला कलैक्टर, आयोजन समिति और एसपीएमयू के बीच घनिष्ठा संपर्क स्थोपित करना।
v. आईसीएपी/डीपीआर के अनुसार सुगम अभिसरण और सभी वांछित घटकों की उपलब्धि सुनिश्चीत करना।
vi. वाया वेब आधारित निगरानी प्रणाली सहित मिशन की प्रगति की नियमित जानकारी देना।

अनुबंध १ - राज्य, जिला एवं क्लस्टर स्तरीय समितियों के लिए सुझाई गई संरचना

१. राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास	सदस्य संयोजक
विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
चुने गए योजना घटकों के आधार पर	सदस्य

- **पाइप द्वारा जलापूर्ति**
  - प्रधान सचिव/सचिव पेयजल एवं स्वच्छता
  - प्रधान सचिव/सचिव जल संसाधन
- **कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, संग्रहण और भण्डारण**
  - प्रधान सचिव/सचिव कृषि
- **स्वच्छता**
  - प्रधान सचिव/सचिव पेयजल एवं स्वच्छता
- **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन**
  - प्रधान सचिव/सचिव जल एवं स्वच्छता
- **ग्रामीण सड़कें और नालियां**
  - प्रधान सचिव/सचिव ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा
- **स्ट्रीट लाइट**
  - प्रधान सचिव/सचिव ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा
  - प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण कार्य विभाग
  - प्रधान सचिव पथ निर्माण
- **स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं**
  - प्रधान सचिव/सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- **स्कूली शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन**
  - प्रधान सचिव/सचिव समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास
  - प्रधान सचिव/सचिव कल्याण
  - प्रधान सचिव/सचिव शिक्षा
  - प्रधान सचिव/सचिव पंचायती राज
  - प्रधान सचिव/सचिव मानव संसाधन
- **आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण**
  - प्रधान सचिव/सचिव उद्योग
  - निदेशक कौशल विकास मिशन
  - सीईओ राज्य आजीविका मिशन
  - प्रधान सचिव/सचिव पशुपालन
  - प्रधान सचिव/सचिव मत्स्य पालन
  - प्रधान सचिव/सचिव पंचायती राज
  - निदेशक एमएसएमई
- **गांव की सड़कों को आपस में जोड़ना**
  - प्रधान सचिव पथ निर्माण
- **नागरिक सेवा केंद्र–जन केंद्रित सेवा/ई–ग्राम कनेक्टिविटी की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी**
  - प्रधान सचिव/सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी
- **सार्वजनिक परिवहन**
  - प्रधान सचिव/सचिव परिवहन
- **एलपीजी गैस कनेक्शन**
  - प्रधान सचिव/सचिव नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
- **पूर्ण डिजिटल साक्षरता**
  - प्रधान सचिव/सचिव शिक्षा
  - प्रधान सचिव/सचिव सूचना और प्रौद्योगिकी
  - श्रम विभाग के सचिव/आयुक्त
  - प्रधान सचिव/सचिव खेल एवं युवा मामले
  - प्रधान सचिव/सचिव पर्यटन
  - प्रधान सचिव/सचिव पंचायती राज

२. जिला स्तरीय समिति

जिला नोडल एजेंसी को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है		
1	उपायुक्त/जिला कलैक्टर/जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2	विकास उपायुक्त/सीईओ जिला परिषद/मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	निदेशक डीआरडीए	सदस्य
4	अपर कलैक्टर	सदस्य
5	जिला आयोजना अधिकारी	सदस्य
चुने गए योजना घटकों के आधार पर		
6	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7	जिला कृषि अधिकारी तथा सहायक क्षेत्र	सदस्य
8	जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
9	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
10	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
11	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	सदस्य
12	परियोजना निदेशक आईटीडीए/एमएडीए	सदस्य
13	जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
14	कार्यकारी अभियंता/जिला अधिकारी पीएचईडी	सदस्य
15	कार्यकारी अभियंता/जिला अधिकारी लघु सिंचाई	सदस्य
16	कार्यकारी अभियंता/जिला अधिकारी बिजली विभाग/आरईओ	सदस्य
17	कार्यकारी अभियंता/जिला अधिकारी लोक निर्माण विभाग	सदस्य
18	प्रत्येक क्लस्टर के प्रभार अधिकारी	सदस्य
19	क्लस्टर गांवों से जुड़े सरपंच/ग्राम प्रधान	सदस्य
20	जिला सहकारी अधिकारी	सदस्य
21	लीड जिला मैनेजर (एलडीएम) बैंक	सदस्य
22	डीडीएम नाबार्ड	सदस्य

अनुबंध २ - एसपीएमयू की वांछनीय विशेषज्ञता और दल संरचना

दल के सदस्य	अर्हता एवं अनुभव	उत्तरदायित्व
अध्यक्ष एसपीएमयू	ग्रामीण प्रबंधन/आयोजना/इंजीनियरिंग/विकास प्रबंधन में प्रोफेशनल डिग्री इसके साथ ही राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर भारत सरकार/राज्य सरकार के इसी तरह के कार्यक्रमों में प्रबंध करने का 15–20 वर्ष का अनुभव	वह एसएनए के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा तथा उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य स्तर पर मिशन का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एसएनए/डीसी/डीपीएमयू और आयोजना समिति से सीधे संपर्क करे।
शहरी आयोजना विशेषज्ञ	शहरी आयोजना में प्रोफेशनल डिग्री इसके साथ ही स्थानिक आयोजना/मास्टर प्लान और विकास योजनाएं तैयार करने का 10–15 वर्ष का अनुभव	आईसीएपी तैयार करने/आईसीएपी की समीक्षा करने में एसटीएसए की मदद करना और स्वीकृति के लिए आईसीएपी की सिफारिशें करना। एसएलईसी से आईसीएपी की स्वीकृति लेने के लिए अध्यक्ष एसपीएमयू और एसएनए की सहायता करना।
इंजीनियरिंग विशेषज्ञ	सिविल इंजीनियर जिसके पास राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर डीपीआर तैयार करने तथा उनका मूल्यांकन करने में इसी तरह के राज्य/केंद्रीय कार्यक्रमों में कार्य करने का 10–15 वर्ष का अनुभव	डीपीआर तैयार करने और इसकी समीक्षा करने में एसटीएसए की मदद करना। एसएलईसी से आईसीएपी की स्वीकृति लेने के लिए अध्यक्ष एसपीएमयू और एसएनए की सहायता करना।
अभिसरण विशेषज्ञ	ग्रामीण विकास/कृषि/सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री इसके साथ ही सरकार, एनजीओ या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बड़े स्तर की योजनाओं में कार्य करने का 10–15 वर्ष का अनुभव	प्रत्येक क्लस्टर के लिए चुने गए केंद्र और राज्य स्तर के सभी कार्यक्रमों में अभिसरण सुनिश्चित करना।
आईटीएम आईएस अधिकारी	प्रबंधन/आईटी में डिग्री इसके साथ ही दस्तावेज, रिपोर्ट लेखन, समान कार्यक्रमों की निगरानी तथा मूल्यांकन में 5–10 वर्ष का अनुभव	राज्य स्तर पर मिशन के लिए एमएंडई फ्रेमवर्क तैयार करना और राज्य के इन रुर्बन क्लस्टरों के विकास की प्रगति की निगरानी करना।
सपोर्ट एक्जिक्यूटिव	प्रबंधन/विकास में प्रोफेशनल डिग्री इसके साथ ही इससे संबंधित क्षेत्र में 1–3 वर्ष का अनुभव	एक्जिक्यूटिव द्वारा अध्यक्ष एसपीएमयू और अन्य अग्रणी सदस्यों की सहायता किया जाना।

अनुबंध ३ - एसटीएसए की वांछनीय विशेषज्ञता और दल संरचना

पद	अर्हता और कौशल	अनुभव
टीम लीडर	◗ ग्रामीण प्रबंधन/आयोजना/विकास प्रबंधन में प्रोफेशनल डिग्री	◗ टीमों का प्रबंधन करने और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ तकनीकी परामर्श कार्य करने के प्रमाणिक अनुभव के साथ–साथ अवसंरचना विकास में कम से कम 20 (बीस) वर्षों का अनुभव।
ग्रामीण विकास विशेषज्ञ	◗ स्नातक या इसके समकक्ष और ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिग्री	◗ ग्रामीण विकास आयोजना में प्रमाणिक अनुभव के साथ–साथ ग्रामीण विकास में कम से कम 15 (पन्द्रह) वर्षों का अनुभव ◗ जिस व्यक्ति के पास केंद्र और राज्य विभागों के ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं में कार्य करने का प्रमाणिक अनुभव हो
इंजीनियरिंग विशेषज्ञ	◗ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक या इसके समकक्ष	◗ फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करने का कम से कम 15 (पन्द्रह) वर्ष का अनुभव ◗ विशेष रूप से ग्रामीण विकास पर ध्योन देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं/योजनाओं के डीपीआर तैयार की हो। ◗ मिशन के किन्हीं 5 वांछनीय घटकों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करने का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।
मास्टर प्लान	◗ इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर/प्लाइनिंग में स्नातक डिग्री इसके साथ ही प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर में स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष	◗ मास्टर प्लाानिंग/ग्रामीण विकास आयोजना में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ◗ कस्बों गांवों के विकास के लिए स्थानिक एवं लैंड यूज आयोजना में कार्य करने का प्रमाणिक अनुभव
प्रशिक्षण/संचार विशेषज्ञ	◗ स्नातक या इसके समकक्ष और ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिग्री	◗ ग्रामीण अवसंरचना आयोजना एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव ◗ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लैंड यूज और मास्टर प्लान का अच्छा अनुभव

अनुबंध 8 - डीपीएमयू एवं सीडीएमयू की वांछनीय विशेषज्ञता और दल संरचना

डीपीएमयू की वांछनीय विशेषज्ञता और दल संरचना

दल के सदस्यन	अर्हता एवं अनुभव
क्षेत्रीय आयोजना विशेषज्ञ	ग्रामीण प्रबंधन/शहरी आयोजना में स्नातकोत्तर डिग्री इसके साथ ही मास्टर प्लान/जिला विकास योजनाएं तैयार करने का 3–5 वर्ष का अनुभव
ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन विशेषज्ञ	ग्रामीण विकास/ग्रामीण प्रबंधन, कृषि अथवा समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वरीयतानुसार 3–5 वर्ष का अनुभव
अभिसरण विशेषज्ञ	ग्रामीण विकास/कृषि/समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री इसके साथ ही सरकार की बड़े पैमाने की योजनाओं, गैर सरकारी संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करने का 3–5 वर्ष का अनुभव

सीडीएमयू की वांछनीय विशेषज्ञता और दल संरचना

दल के सदस्य	अर्हता एवं अनुभव
स्थानिक आयोजना पेशेवर	शहरी आयोजना में स्नातकोत्तर डिग्री इसके साथ ही मास्टर प्लान/जिला विकास योजनाएं तैयार करने का 3–5 वर्ष का अनुभव
ग्रामीण प्रबंधन पेशेवर	ग्रामीण विकास/ग्रामीण प्रबंधन, कृषि अथवा समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वरीयतानुसार 3–5 वर्ष का अनुभव

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार